राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :— 652/2023

मारूति प्रकाश गौतम (कर्मचारी आई.डी.— आरजेबीयू198710013043)

—अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.02.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि. रामगंज बालाजी, बूंदी से रा.उ.मा.वि. मानपुरा छीपाबड़ौद, बांरा किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर भेजा गया है, जो निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय कर्मचारी है, जो बूंदी में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को भी बूंदी में कार्यरत रखा जाना चाहिए था। इस आधार पर भी आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया।
4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons

unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

6. अपीलार्थी बूंदी जिले में 2016 से कार्यरत है। ऐसा कोई आधार हमारे सामने प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह माना जाये कि निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। वर्तमान स्थानांतरण में कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।

7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)